वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी, 2018-माघ 13, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रानी जैन पत्नि श्री राजीव जैन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी वार्ड 19, नया वार्ड 20 नई आवादी, महावीर कॉलोनी के पास, अशोकनगर (म.प्र.) यह घोषित करती हूँ कि मेरी शिक्षा मेरे पैतृक कस्वा मुंगावली में सरिता जैन पुत्री श्री सुरेशचंद नाम से हुई है तथा मेरी शिक्षा के सभी प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम सरिता जैन अंकित हुआ है. जबकि मुझे मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार, आदि सभी जन मुझे मेरे घरेलु नाम रानी नाम से पुकारते रहे हैं. मेरा विवाह वर्ष 1996 में मेरे घरेलु नाम रानी जैन नाम से ही श्री राजीव जैन पुत्र श्री मिन्टूलाल जैन, निवासी वार्ड 19, नया वार्ड 20 नई आवादी महावीर कॉलोनी के पास अशोकनगर (म.प्र.) के साथ हुआ है तथा ससुराल पक्ष ने भूमि स्वामी दस्तावेज, पैनकार्ड, आधारकार्ड, ग्रीनकार्ड, मतदाता परिचय-पत्र में श्रीमती रानी जैन पत्नि राजीव जैन अंकित करा दिया है इसलिये कोई भ्रम ना रहे अत: सभी दस्तावेज, पहचान-पत्र भी श्रीमति रानी जैन पत्नि राजीव जैन के रूप में वैध माने जावें. भविष्य में मुझे श्रीमती रानी जैन पत्नि राजीव जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सरिता जैन)

नया नाम :

(रानी जैन)
पति राजीव जैन,
नई आवादी, महावीर कॉलोनी के पास,
अशोकनगर.

(690-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अमृता जोशी पत्नी श्री प्रफुल्ल जोशी, निवासी 51-गोमती कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) एतद्द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरा नाम सभी दस्तावेजों एवं पहचान-पत्रों में अमृता शर्मा एवं अमृता मालवीय दर्ज है, विवाह एवं पति के द्वारा उपनाम परिवर्तन पश्चात् मेरा नाम श्रीमति अमृता जोशी मैं, अपने नाम के आगे सरनेम जोशी दर्ज करवाना चाहती हूँ. अत: मुझे भविष्य में मुझे अमृता जोशी पत्नी श्री प्रफुल्ल जोशी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अमृता शर्मा/अमृता मालवीय)

नया नाम :

(अमृता जोशी)
51, गोमती कॉलोनी, भोपाल.

(691-बी.)

नाम परिवर्तन

यह की मेरी हाई स्कूल अंकसूची में मेरा नाम अरविन्द कुमार आत्मज रामप्रसाद एवं हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा अंकसूची में अरविन्द कुमार मेवाड़ा आत्मज रामप्रसाद मेवाड़ा एवं मेरी बी. ई. व एम. टेक. की समस्त अंकसूचियों में मेरा नाम अरविन्द मेवाड़ा आत्मज श्री रामप्रसाद मेवाड़ा अंकित है. अन्य समस्त दस्तावेज जिसमें मेरा आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र इत्यादि में मेरा नाम अरविन्द मेवाड़ा आत्मज श्री रामप्रसाद मेवाड़ा है जो की मेरा प्रचलित नाम है. यह की भविष्य मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम अरविन्द मेवाड़ा आत्मज श्री राम प्रसाद मेवाड़ा अंकित किया जाए एवं मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अरविन्द कुमार)

नया नाम :

(अरविन्द मेवाड़ा)
आत्मज श्री राम प्रसाद मेवाड़ा,
निवासी-ग्राम गोपालपुर, पोस्ट छतरी,
जिला सीहोर.

(706-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, क्रेश सिंह पुत्र श्री जरदान सिंह, निवासी ग्राम गुमारा पोस्ट जमदारा थाना मौं, तहसील गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश का हूँ मेरा पुत्र आशीष गुर्जर कक्षा 10वीं में प्रगति विद्यापीठ, मुरार, ग्वालियर से नियमित छात्र के रूप में वर्ष 2014-16 में सी.बी.एस.सी. बोर्ड से उर्त्तीण की है सी.बी.एस.सी बोर्ड द्वारा अंकसूची प्रदान की गई है उसमें पति/पत्नी का नाम SUNEETA GURJAR/RAM KRESH SINGH GURJAR लिखा है जो गलत है जबकि मेरी पत्नी व मेरा नाम GOORABAI/KRESH SINGH है जिसे सी.बी.एस.सी. बोर्ड में अपने पुत्र आशीष गुर्जर की अंकसूची में संशोधित करना है वह शिक्षण रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम का उल्लेख किया जाना है.

पुराना नाम :

(सुनीता गुर्जर)
पत्नि रामक्रेशसिंह गुर्जर.

नया नाम :

(गोराबाई)
पत्नि क्रेश सिंह,
निवासी ग्राम गुमारा, पोस्ट जमदारा थाना मौ,
तहसील गौहद, जिला भिण्ड.

(692-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति प्रमिला रोजी मोरे पति स्व. श्री सबास्टिन मोरे, निवासी-180, सी. एम. एस. कम्पाउंड लाल चर्च के पास, जवाहर लाल, नेहरु वार्ड 54, जबलपुर मध्यप्रदेश है.

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मैंने मेरे पुत्र ऑस्लिविन मोरे का नाम जो वर्तमान में उसके समस्त शासकीय तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मैंने आज दिनांक से अपने पुत्र का नाम जॉय ऑस्लिविन मोरे परिवर्तित कर दिया है. आज दिनांक के पश्चात् मेरे पुत्र को जॉय ऑस्लिविन मोरे के नाम से जाना पहचाना जावे एवं उसका परिवर्तित नाम जॉय ऑस्लिविन मोरे उसके शासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(ऑस्लिविन मोरे)
(OUSLLIWIN MORE)

नया नाम :

(जॉय ऑस्लिविन मोरे)
(JOY OUSLLIWIN MORE)

(693-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बाबूलाल कुम्हार पिता लालमणि प्रजापति, निवासी ग्राम भलुहा पोस्ट रामनई, जिला रीवा ने उपनाम कुम्हार को परिवर्तित कर प्रजापति किया गया है. अतः मेरा पूरा नाम बाबूलाल प्रजापति नाम से जाना जाये और समस्त दस्तावेजों एवं सर्विस अभिलेखों में यही नाम मान्य होगा.

पुराना नाम :

(बाबूलाल कुम्हार)

नया नाम :

(बाबूलाल प्रजापति)

(694-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार डहेरिया पुत्र श्री जगदीश प्रसाद डहेरिया, निवासी-एफ-10, राधाकृष्णन वार्ड, वार्ड नं. 17, तहसील व जिला मण्डला मध्यप्रदेश वर्तमान में अशोक कुमार डहेरिया एवं साहित्य क्षेत्र में अशोक डहेरिया "आजाद" नाम से जाना जाता हूँ. अब मुझे सभी शासकीय, अशासकीय उद्देश्यों हेतु "अशोक आजाद" नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(अशोक कुमार डहेरिया)	**(अशोक आजाद)**
(ASHOK KUMAR DAHERIYA)	**(ASHOK AZAD)**
	पता-एफ-10, राधाकृष्णन वार्ड,
(695-बी.)	वार्ड नं. 17, तह. व जिला मण्डला.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम प्रीति गुप्ता पिता श्री मनोहरलाल गुप्ता, निवासी-47 टेलीफोन नगर, इन्दौर (म.प्र.) था. जो विवाह पश्चात् दिनांक 21-06-1995 से परिवर्तित होकर श्रीमती प्रीति महाजन पति श्री सुधीर महाजन, निवासी 22, गोमती नगर, देवास (म.प्र.) हो गया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(प्रीति गुप्ता)	**(प्रीति महाजन)**
पिता श्री मनोहरलाल गुप्ता,	पति श्री सुधीर महाजन,
47, टेलीफोन नगर, इंदौर.	22, गोमती नगर, देवास.

(696-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अमिता सिह पत्नि श्री अर्जुन सिह, आयु 57 वर्ष, निवासी ई. एम. 113, दीनदयाल नगर, ग्वालियर का पूर्व नाम अवध कुमारी था. अब मैं, नये नाम अमिता सिह से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :	नया नाम :
(अवध कुमारी)	**(अमिता सिह)**
	पत्नि श्री अर्जुन सिह,
	निवासी-ई.एम.113, दीनदयाल नगर,
(697-बी.)	ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, निहारिका माथुर, उम्र 29 वर्ष, निवासी झूले लाल कॉम्पलेक्स सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर शपथ पूर्वक सत्यापित करती हूँ. कि शादी के पूर्व मेरा नाम निक्की वर्मा पुत्री श्री राकेश कुमार वर्मा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है परन्तु शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती निहारिका माथुर पत्नी श्री प्रियंक माथुर हो गया है. अत: भविष्य में भी मुझे निहारिका माथुर के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(निक्की वर्मा)	**(निहारिका माथुर)**

(698-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि धर्मेन्द्र सिंह लोधी पुत्र शिवराज लोधी (34) वर्ष का पुत्र युवराजसिंह लोधी, चंदेरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. यहां उसकी टीसी में युवराजसिंह लोधी की जगह भूलवश युवराजसिंह राजपूत हो गया है. जिसे सही करवाए जाने हेतु सूचना प्रकाशित करवाई जा रही है. अत: युवराजसिंह राजपूत की जगह युवराजसिंह लोधी सही नाम है.

धर्मेन्द्र सिंह लोधी,
पुत्र शिवराज लोधी,
निवासी-रामनगर तिराहा पेट्रोल पंप के पास,
(699-बी.) चन्देरी, जिला अशोक नगर.

PUBLIC NOTICE

This is to inform the public at large that there has been change in the constitution of partnership of firm M/s Arihant Developers having its registered office at 91, Sheetalpuri, Ukhri Road, Jabalpur w.e.f 10.07.2017 wherein Two new partners namely Shri Harsh Agrawal and Shri Rishabh Singh Jharia has been inducted in the firm in place of Shri Naresh Agrawal who died on 23.10.2016. The remaining partners i.e. Shri Mukesh Kumar Kaushal, Shri Shreyans Kumar Kaushal, Shri Shreyans Kumar Jain and Shri Subodh Kumar Jain will continue as partners. The Amendment to partnership deed has been executed w.e.f. 10.07.2017 and will be effective on all partners from now onwards.

For Arihant Developers,

1. Mukesh Kumar Kaushal,
2. Harsh Agrawal,
3. Shreyans Kumar Jain,
4. Subodh Kumar Jain,
5. Rishabh Singh Jharia,
(Authorized Partner).

(700-B.)

NOTICE

U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firms "MIS ARCHIE BUILDERS & DEVELOPERS" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/0386/17 2016-2017 date 16/01/2017 undergone the following changes:-

1. That Mr. Rajendra Singh S/o, Shri Chandan Singh has joined the firm and Mrs. Jyotsana Jain W/o Shri K. C. Jain & Mr. Shankar Lal Sewani S/o, Shri Kanhaiya Lal Sewani has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01/02/2017.
2. That Mr. Man Singh S/o, Shri Chandan Singh & Mr. Shubham Singh S/o, Shri Rajendra Singh has joined the firm and Mr. Deepak Lalchandani S/o, Late Shri Jethanand lalchandani & Mr. Ravi Narayan Jashnani S/o, Shri Narayan Parashuram has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 10/12/2017.
3. That the Principal place of business is shifted at HS/2, Mehta Complex, 1st Floor, D-Sector, Nehru Nagar, Bhopal w.e.f. 10/12/2017.

"M/S ARCHIE BUILDERS & DEVELOPERS"
RAJENDRA SINGH,
(Partner)
HS/2, Mehta Complex, 1st Floor,
D-Sector, Nehru Nagar, Bhopal.

(701-B.)

NOTICE

U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firms " M/S R & K CREATION " of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/0317/15 2015-2016 Dated 18/1112015 undergone the following changes:-

1. That the parties hereto hereby dissolve the partnership subsisting among them under the Deed of partnership dated 05/11/2015 w.e.f.01/01/2018.

" M/S R & K CREATION "
KIRAN RAJPOOT,
(Partner)
H. No.-263, Rajharsh Colony,
Kolar Road, Bhopal.

(702-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स माईल स्टोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स, 6/1, घटखरपर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00079/14, दिनांक 15-12-2014 है, जिसमें दिनांक 01-11-2017 को भागीदार (1) श्री अविनाश खण्डेलवाल पिता स्व. श्री जगन्नाथ खण्डेलवाल, निवासी 48, केशव नगर, उज्जैन (म.प्र.) एवं भागीदार, (2) श्रीमती नीलिमा खण्डेलवाल पति श्री अविनाश खण्डेलवाल, निवासी 48, केशव नगर, उज्जैन (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-11-2017 से भागीदार (1) श्री मनोज खण्डेलवाल पिता स्व. श्री जगन्नाथ खण्डेलवाल, निवासी 48, केशव नगर, उज्जैन (म.प्र.) भागीदार, (2) श्री निशांत खण्डेलवाल पिता श्री मनोज खण्डेलवाल, निवासी 48, केशव नगर, उज्जैन (म.प्र.) फर्म में रह गये हैं तथा इसी दिनांक 01-11-2017 से भागीदारी फर्म का नवीन, पता निवासी 48, केशव नगर, उज्जैन (म.प्र.) हो गया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स माईल स्टोन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,
मनोज खण्डेलवाल,
(भागीदार)
उज्जैन.

(703-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रुति पैकेजिंग्स 14, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 07/35/01/0114/18, दिनांक 06-01-2018 है, जिसमें दिनांक 28-12-2017 को भागीदार (1) श्रीमती लता गर्ग पति श्री शशिकांत गर्ग, निवासी पुरानी भवन, नयी आबादी, मंदसौर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गई हैं तथा भागीदारी फर्म में दो भागीदार होने से एक भागीदार के पृथक् हो जाने के कारण भागीदारी फर्म स्वत: समाप्त हो गयी है एवं अब श्रीमती ममता गर्ग पति श्री मधुकांत गर्ग, निवासी 209, यशेधर्मन मार्ग नगर, मंदसौर (म.प्र.) के स्वामित्व की प्रोपराईटर फर्म हो गई है, सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

मैसर्स श्रुति पैकेजिंग,
ममता गर्ग,
(भागीदार)
मंदसौर .

(704-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण युवराज सिंह राणावत, मायाकुंवर राणावत, प्रेमलता कर्नावत, राजेन्द्र जैन के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रूद्राक्ष जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/05/0081/17, दिनांक 09-01-2017 है जो उज्जैन-जावरा, बायपास रोड़, नागदा में स्थित है, को संचालित करते है. दिनांक 25-10-2017 से होटल का नाम परिवर्तन करते हुए रूद्राक्ष पेलेस के नाम से जाना जाएगा. शासकीय विभाग, अर्धशासकीय निकाय या निजी संस्थाओं में तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अब रूद्राक्ष पेलेस ही लिखा जाएगा व जाना जाएगा. अत: सूचित हों.

रमेशचन्द्र चंदेल,
(अधिवक्ता)
307, खजूरिया झोपड़ी, गुलावबाई कॉलोनी,
नागदा जं., जिला उज्जैन.

(705-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स एम. के. एग्रो स्थित 5/2, नाइस एग्रो के पीछे ग्राम खजुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 04/15/03/00174/14, दिनांक 11-01-2014 को पंजीकृत की गई थी. दिनांक 01-05-2014 से एक अन्य फर्म रॉयल एग्रो के नाम से फर्म बनाई गई थी. जिसकी चल-अचल सम्पत्ति रॉयल एग्रो के नाम से अंकित है. यह फर्म मैसर्स एम. के. एग्रो का ही अभिन्न अंग होने के कारण फर्म मैसर्स रॉयल एग्रो के सभी भागीदारों का दायित्व एवं चल-अचल सम्पत्ति का दायित्व फर्म मैसर्स एम. के. एग्रो का ही होगा. इसी दिनांक से रॉयल एग्रो फर्म को मैसर्स एम. के. एग्रो फर्म के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स एम. के. एग्रो,
दिलीप कुमार केवलानी,
(भागीदार).

(707-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी, 2018

तृतीय निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(56)/2017/218.—आईटी विभाग की बेवसाइट *https://mpeproc.gov.in* से पारपत्र पुस्तिका (तकनीकी विवरण अनुसार) मुद्रण हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु पंजीकृत प्रिन्टरों से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित प्रति बुकें दरें दिनांक 05 फरवरी, 2018 अपरान्ह 01.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं.

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 05 फरवरी, 2018 अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा.

3. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना *https://mpeproc.gov.in* एवं *www.govtpressmp.nic.in* पर उपलब्ध रहेगी.

(241)

Bhopal, Dated 22nd January, 2018

THIRD TENDER NOTICE

No. GB-II//(56)2017/218.– ONLINE Bidding are invited on *https://*mpeproc.gov.in from the Registered Printers for confidential Printing work of Indian Bank Association (IBA) who have for Printing of Transit Book (as per technical details) including paper, printing transport and other charges Per Book with all taxes are invited on or before 01.00 PM on 05-02-2018 as per key dates.

2. Hard Copy of the Bid Documents complete in all respects, alongwith Technical tender document, certified Paper Sample, acceptation of tender condition must be received at the office of the undersigned as per key dates. Envelopes of Hard Copy and Online Technical Parts will be open on 5th February, 2018 at 03.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

3. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available only on *Website* ***https://mpeproc.gov.in & www.govtpressmp.nic.in***

RAJESH KAUL,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(241-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, नगर क्षेत्र धार

धार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

फार्म नम्बर-3

[देखिये नियम-4(2)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 (तीस 1951) की धारा-4 के तहत् न्यास पंजीयन बावत्]

समक्षः-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला धार.

क्र./5048/रीडर/2017.—चूंकि ट्रस्ट "श्री आंदेश्वर जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपगाच्द चारथुई संघ" ने इस नोटिस के शेड्यूल में दर्शाये हुए जायदाद के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बावत् मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1950 के एक अर्ज प्रस्तुत किया है, याद रखे कि ऊपर दिये हुए अर्ज पर विचार मेरे न्यायालय में दिनांक 21 मार्च, 2018 को किया जावेगा.

जो भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट की जायदाद के कारोबार में दिलचस्पी रखते हों और जिसका उक्त बावद कोई विरोध कराने का इरादा हो या सुझाव, वह जवाब दावा दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन दिनांक से एक माह में भेजने की तजबीब करें और मेरे समक्ष दिनांक 21 मार्च, 2018 उक्त नियत अवधि के बाद प्राप्त हुए आपत्ति विचार योग्य नहीं मानी जावेगी.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम	:	श्री आंदेश्वर जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तपगाच्द चारथुई संघ.
2. चल सम्पत्ति	:	5,500/- रुपये नगद.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी.

सत्य नारायण ददो,

(145) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड आलोट, जिला रतलाम

आलोट, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा-5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-5 (1) अनुसार]

क्र./1543/री-1/2017.—चूंकि श्री सत्यनारायण मंदिर पांचाल सुतार समाज धार्मिक एवं परमार्थीक न्यास, ताल द्वारा अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश पिता श्री कचरूजी, निवासी राजेन्द्र मार्ग ताल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 नियम-2 के अनुसार नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 19 जनवरी, 2018 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी.

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या ऐजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित होवें.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अधिसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	श्री सत्यनारायण मंदिर पांचाल सुतार समाज धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास, ताल, जिला रतलाम (म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति का विवरण	:	जमीन स्थित महेन्द्रप्रताप मार्ग ताल कुल क्षेत्र फल 1600 वर्गफीट जिसकी लम्बाई 40 फीट व चौड़ाई पूर्व-पश्चिम 40 फीट है अनुमानित बाजार मूल्य 11,0000/-रुपये.
3. चल सम्पत्ति	:	1. नगदी रुपये 1000/- जो वर्तमान में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रतलाम, शाखा ताल, खाता क्रमांक 166005077990 में जमा हैं. 2. मुकुट चांदी का वजन 350 ग्राम लगभग रुपये 15000/- 3. छत्र चांदी का 400 ग्राम लगभग रुपये 16000/- 4. चांदी के पायजब 150 ग्राम लगभग रुपये 1500/- 5. कान के कुण्डल 50 ग्राम चांदी के रुपये 500/- 6. पूजा बर्तन-तर्बाना, छाली, लगभग रुपये 500/- 7. आरती, घडीयाल, घंटी लगभग रुपये 500/-

आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

लक्ष्मी गामड़,

(146) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व).

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र./वी/113, वर्ष 2017-18. मौजा-वर्णी कॉलोनी, सागर.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दिनेश कुमार जैन पिता शीतलचंद जैन, निवासी वर्णी कॉलोनी, सागर अध्यक्ष श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर वर्णी कॉलोनी, सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर वर्णी कॉलोनी, सागर" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसके पदाधिकारीगण/सदस्यगण निम्नानुसार हैं:- 1. अध्यक्ष, 2. महामंत्री, 3. कोषाध्यक्ष, 4. पूर्व कोषाध्यक्ष, 5. पूर्व अध्यक्ष, इन पदाधिकारियों का चुनाव ट्रस्ट के स्थाई 06 सदस्य ही करेंगे.

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगम्बर जैन मंदिर.
पता	:	वर्णी कॉलोनी, सागर.
चल सम्पत्ति	:	मूर्तियां, बर्तन (सोना एवं चांदी), फर्नीचर, पुस्तक, बैंक एवं रोकड़ की कुल कीमत 4769267.00 रुपये.
अचल सम्पत्ति	:	वर्णी कॉलोनी में स्थित चार प्लाट एवं एक बिल्डिंग है जिसकी कुल कीमत 48075546.00 रुपये.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	1. मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था करना, आय व्यय एवं चल अचल सम्पत्ति के रख रखाव आदि को सुचारू रूप से विधि संगत व्यवस्था करना. 2. धार्मिक कार्यो का आयोजन एवं सार्वजनिक हित के लिये शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवस्थित करना.

अत: उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 24 जनवरी, 2018 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 24-01-2018.

जारी दिनांक 13-12-2017.

एल. के. खरे,

(147) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

वनसम्बन्धी घोष-विक्रय

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) वनमण्डल, बैतूल

इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बॉस परिवहन समूहों हेतु निविदा/निलाम की सूचना बैतूल वन वृत्त बैतूल (मध्यप्रदेश)

वि.क्र.-02.—सर्व-साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि, बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत बैतूल उत्पादन वनमंडल के विभिन्न समूहों से संबंधित काष्ठागारों एवं बॉसागारों में इमारती, जलाऊ लकड़ी, व्यापारिक एवं औद्योगिक बॉस के परिवहन करने के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से निविदाये, निर्धारित प्रारूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के नाम पर निम्नलिखित तिथियों में अपरान्ह 02:00 बजे दिन तक काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में निम्नानुसार दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं. प्राप्त निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष काष्ठागार बैतूल के नीलाम हॉल में खोली जावेगी.

प्रथम दौर निविदा दिनांक/दिन	द्वितीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा दिनांक/दिन	तृतीय दौर निविदा उपरांत नीलाम दिनांक/दिन
25-01-2018	05-02-2018	12-02-2018	12-02-2018
बृहस्पतिवार	सोमवार	सोमवार	सोमवार

तृतीय दौर के पश्चात् शेष बचे समूहों का नीलाम द्वारा निर्वर्तन दिनांक 12 फरवरी, 2018 दिन सोमवार को अपरान्ह 04:00 बजे से किया जावेगा. जिसमें सत्यंकार की राशि के रूप में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट या डिपाजिट एट काल के रूप में लिये जायेंगे.

निर्धारित निविदा का प्रारूप (फार्म) निविदा शर्त एवं परिवहन समूहों से संबंधित जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल कार्यालय बैतूल से रुपये 100/- (एक सौ रुपये) की अदायगी करने पर प्राप्त की जा सकेंगी.

मध्यप्रदेश की विश्व प्रसिद्ध सागौन का उपयोग करें.

पी. एस. चंपावत,

(148) मुख्य वनसंरक्षक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1964.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अन्तर्वेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये अन्तर्वेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1603, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से अन्तर्वेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, अन्तर्वेदीय कान्य कुब्ज साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी. एस./1075, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(121)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1965.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1617, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, महर्षि वाल्मिकी साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1056, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री नितिन श्रीराव, उप-अंकेक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(122)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1966.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1593, विदिशा, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सर्वोदय विक्रेता साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1059, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री रामसिंह वरिष्ठ, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(123)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1967.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1455, विदिशा, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, श्री आदर्श साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1072, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(124)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1968.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1314, विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रगति महिला बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., पौआनाला, तहसील व जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./1057, दिनांक 28 जनवरी, 2017 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(125)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1969.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1315, विदिशा, दिनांक 31 अगस्त, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मछुआ मारन पालन सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./130, दिनांक 21 मार्च, 1967 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(126)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1970.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्या., बर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था पदाधिकारियों द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है एवं अंकेक्षण टीप के अनुसार संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48 (2) के प्रबंध संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इसलिये सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्या., बर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन ''कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2017/1516, विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का अभी तक कोई उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया है. उपरोक्त कारण से सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्या., बर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99/एक/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सामुदायिक ग्रामीण विकास सहकारी संस्था मर्या., बर्धा, पोस्ट वर्धा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर/व्ही.डी.एस./926, दिनांक 07 जुलाई, 2014 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री जी. के. पंजीबी, सहकारी निरीक्षक को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(127)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1954.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2008/167, दिनांक 25 फरवरी, 2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/916, दिनांक 08 जून, 2012 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करारिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./157, दिनांक 25 अगस्त, 1970 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करारिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, करारिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./157, दिनांक 25 अगस्त, 1970 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(114)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1955.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/726, दिनांक 30 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./673, दिनांक 07 जनवरी, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./673, दिनांक 07 जनवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(115)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1956.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/723, दिनांक 30 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./568, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./568, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(116)

विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

क्र./परि./2017/1957.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2016/722, दिनांक 30 मई, 2016 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनूपपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./575, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अनिल सक्सेना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनूपपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं समापक के द्वारा की गयी कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं . ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अनूपपुर पोष्ट जेतपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए.आर./व्ही. डी. एस./575, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(117)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूड़ियासूखा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूड़ियासूखा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 20 जुलाई, 1994 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

(128)

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुशामदा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुशामदा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1415, दिनांक 02 जनवरी, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

(130)

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आछारोही, तहसील सीहोर, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार यह

सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आछारोही, तहसील सीहोर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 27 दिसम्बर, 2001 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

(131)

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक तिरूपति बालाजी बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., हतियाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन एवं संस्था के वित्तीय पत्रकों के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक तिरूपति बालाजी बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., हतियाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1528, दिनांक 21 जनवरी, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

(132)

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोराहा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 10 फरवरी, 1980 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

(133)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़लिया बरामद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़लिया बरामद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 30 सितम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(134)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

जन साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर, तहसील व जिला सीहोर के अध्यक्ष तथा सचिव के पत्र के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर जन साख सहकारी संस्था मर्या., सीहोर, तहसील व जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1520, दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(135)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलिया सलारसी, तहसील आष्टा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र के अनुसार यह

सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलिया सलारसी, तहसील आष्टा पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 10 जनवरी, 1984 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(136)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवरंगपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नवरंगपुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 780, दिनांक 30 सितम्बर 1980 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(137)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टीकामोड़, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टीकामोड़, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1367, दिनांक 27 अगस्त, 2009 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(138)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काहिरी जदीद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र के अनुसार यह सहकारी संस्था अकार्यशील है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काहिरी जदीद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1358, दिनांक 03 फरवरी, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 01 जनवरी, 2018 को जारी करता हूँ.

(139)

सीहोर, दिनांक 12 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कादराबाद, तहसील सीहोर, जिला सीहोर के प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार इस सहकारी संस्था के अध्यक्ष के द्वारा उन्हें सहकारी संस्था के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पर रही है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है. अत: संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने धारा-48(2) के प्रबंधक संबंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिमसापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-9-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कादराबाद, तहसील सीहोर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1469, दिनांक 04 मार्च, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जून, 2017 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(129)

कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/32.—विकास महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा बरामद, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./916, दिनांक 03 फरवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये विकास महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा बरामद, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./916, दिनांक 03 फरवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योति थिंगले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(167)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/33.—भोपाल नगर पालिका साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1128, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भोपाल नगर पालिका साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1128, दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(168)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/34.—एलोरा मेन्टल सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./23, दिनांक 22 अक्टूबर, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये एलोरा मेन्टल सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./23, दिनांक 22 अक्टूबर, 1959 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(169)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/35.—लाट कुबेर सहकारी साख संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1067, दिनांक 05 मार्च, 2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये लाट कुबेर सहकारी साख संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1067, दिनांक 05 मार्च, 2014 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(170)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/36.—अगोहा साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1278, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अगोहा साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1278, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पी. एल. चिल्ले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(171)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/37.—आशा साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1302, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये आशा साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1302, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पी. एल. चिल्ले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(172)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/38.—भोपाल डाटकाम सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1322, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भोपाल डाटकाम सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1322, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पी. एल. चिल्ले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(173)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/39.—उत्कृष्ट साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1294, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये उत्कृष्ट साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1294, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति लता गिल, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(174)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/40.—माँ कालका सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1285, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ कालका सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1285, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति लता गिल, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(175)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/41.—गुरूकृपा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1301, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये गुरूकृपा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1301, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री ज्ञानचंद पाण्डेय, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(176)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/42.—तत्पर क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1275, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तत्पर क्रेडिट साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1275, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री ज्ञानचंद पाण्डेय, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(177)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/43.—श्री सांईनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1276, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्री सांईनाथ साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1276, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री ज्ञानचंद पाण्डेय, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(178)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/44.—सहकारिता विभागीय सहयोग एवं सेवा सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1336, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सहकारिता विभागीय सहयोग एवं सेवा सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1336, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री राजीव जैन, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(179)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/45.—शिव महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1292, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये शिव महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1292, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मीरा देवी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(180)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/46.—प्रज्ञाशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1290, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये प्रज्ञाशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1290, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मीरा देवी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(181)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/47.—शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1291, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1291, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मीरा देवी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(182)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/48.—आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1298, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये आदर्श महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1298, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मनीषा चौरे, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(183)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/49.—तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1299, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये तथागत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1299, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मनीषा चौरे, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(184)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/50.—सफलता महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1300, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सफलता महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1300, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मनीषा चौरे, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(185)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/51.—केन्द्रीय लोक निर्माण कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1307, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय लोक निर्माण कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1307, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति अलका तिग्गा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(186)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/52.—राजपूत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1308, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राजपूत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1308, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति अलका तिग्गा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(187)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/53.—प्रगति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1289, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये प्रगति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1289, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति सुविता, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(188)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/54.—समायोजन साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1288, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये समायोजन साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1288, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति सुविता, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(189)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/55.—महिला उत्थान साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1287, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये महिला उत्थान साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1287, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति सुविता, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(190)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/56.—डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1295, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये डॉ. अम्बेडकर साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1295, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. एस. उपाध्याय, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(191)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/57.—रोजगार कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1296, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये रोजगार कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1296, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. एस. उपाध्याय, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(192)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/58.—नवज्योति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1297, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये नवज्योति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1297, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. एस. उपाध्याय, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(193)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/59.—हैजमार्क हस्तशिल्प एवं ग्राम उद्योग साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1334, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये हैजमार्क हस्तशिल्प एवं ग्राम उद्योग साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1334, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योत्सना जैन, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(194)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/60.—भोपाल नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1303, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भोपाल नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1303, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(195)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/61.—संस्कार साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1304, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये संस्कार साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1304, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(196)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/62.—युवा प्रभात कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1305, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये युवा प्रभात कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1305, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(197)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/63.—आर्यन कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1229, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये आर्यन कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1229, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति संगीता मीना, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(198)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/64.—माँ जय अम्बे प्राथमिक उप. भण्डार सह. संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1255, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ जय अम्बे प्राथमिक उप. भण्डार सह. संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1255, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योति थिंगले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(199)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/65.—न्यू प्रिया महिला उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1257, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये न्यू प्रिया महिला उप. सहकारी भण्डार मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1257, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योति थिंगले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(200)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/66.—दूरसंचार कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./86, दिनांक 16 दिसम्बर, 1978 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दूरसंचार कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./86, दिनांक 16 दिसम्बर, 1978 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योति थिंगले, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(201)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/67.—पीताम्बरा सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1272, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये पीताम्बरा सहकारी उप. भण्डार मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1272, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(203)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/68.—सांई सदगुरू क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1342, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सांई सदगुरू क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1342, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(204)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/69.—समता उप. भण्डार सहकारी मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1274, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये समता उप. भण्डार सहकारी मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1274, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, स. नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(205)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/70.—इकोग्रीन ग्रुप हाउ. वेलफेयर एण्ड मेन्टे .सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1137, दिनांक 22 जुलाई, 2009 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये इकोग्रीन ग्रुप हाउ. वेलफेयर एण्ड मेन्टे. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1137, दिनांक 22 जुलाई, 2009 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति मीरा देवी, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/71.—वाल्मिकी अनु. जाति सूचना प्रोद्योगिक प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1332, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये वाल्मिकी अनु. जाति सूचना प्रोद्योगिक प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1332, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति ज्योतिसना जैन, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/72.—लवकुश प्राथ. सह. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1267, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये लवकुश प्राथ. सह. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1267, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(208)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/73.—माँ गायत्री उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1269, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ गायत्री उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1269, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(209)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/74.—जय उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1265, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जय उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1265, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(210)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/75.—राधा महिला प्राथ. भण्डार मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1264, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राधा महिला प्राथ. भण्डार मर्या., बैरसिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1264, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(211)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/76.—हथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./101, दिनांक 15 मार्च, 1980 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये हथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./101, दिनांक 15 मार्च, 1980 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति लता गिल, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावध ानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(212)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/77.—मध्यप्रदेश लोक कल्याण मंत्रालय विभाग साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./313, दिनांक 25 मई, 1964 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश लोक कल्याण मंत्रालय विभाग साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./313, दिनांक 25 मई, 1964 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति लता गिल, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(213)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/78.—अंशू मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1338, दिनांक 31 मार्च, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अंशू मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1338, दिनांक 31 मार्च, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. कातुलकर, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(217)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/79.—राष्ट्रीय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1339, दिनांक 31 मार्च, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1339, दिनांक 31 मार्च, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. कातुलकर, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(218)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/80.—सडाना मेडिकल को-आप. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1337, दिनांक 31 मार्च, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सडाना मेडिकल को-आप. सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1337, दिनांक 31 मार्च, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. कातुलकर, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावध ानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(219)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/81.—संत शिरोमणी बाबा गाडगे साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1280, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये संत शिरोमणी बाबा गाडगे साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1280, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(220)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/82.—शबनम महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1268, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये शबनम महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1268 दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(221)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/83.—गोमती महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1261, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये गोमती महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1261, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री कैलाश बगवैया, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(222)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/84.—ग्रीन महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1256, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये ग्रीन महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1256, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री कैलाश बगवैया, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(223)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/85.—अलमास प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./977, दिनांक 23 मार्च, 2010 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अलमास प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./977, दिनांक 23 मार्च, 2010 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव, स. नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(224)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/86.—न्यू. शाजता महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1266, दिनांक 23 मार्च, 2010 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये न्यू. शाजता महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1266, दिनांक 23 मार्च, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री अभय देशपांडे, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(225)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/87.—भोपाल महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1260, दिनांक 23 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भोपाल महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1260, दिनांक 23 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री बी. एल. छाबडा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(226)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/88.—मुस्कान साख सहकारी संस्था मर्या., बर्राई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1309, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मुस्कान साख सहकारी संस्था मर्या., बर्राई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1309, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री विनोद बांगरे, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(227)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/89.—लोधी क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1312, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये लोधी क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1312, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री विनोद बांगरे, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(228)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/90.—मध्यभारत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1316, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये मध्यभारत साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1316, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री विनोद बांगरे, व.स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(229)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/91.—सर्वजन क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1181, दिनांक 09 जुलाई, 2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सर्वजन क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1181, दिनांक 09 जुलाई, 2014 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति अल्का तिग्गा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(230)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/92.—प्रगति श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./922, दिनांक 01 नवम्बर, 2002 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये प्रगति श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./922, दिनांक 01 नवम्बर, 2002 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री एम. के. श्रीवास्तव, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/93.—न्यू स्टेशनरी एवं मेन्यूफेकचर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./618, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये न्यू स्टेशनरी एवं मेन्यूफेकचर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./618, दिनांक 16 दिसम्बर, 1996 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति अलका तिग्गा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232)

दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/94.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंदरई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1193, दिनांक 28 फरवरी, 2014 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इंदरई भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1193, दिनांक 28 फरवरी, 2014 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/95.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नाहरिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1016, दिनांक 29 नवम्बर, 2004 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, नाहरिया भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./1016, दिनांक 29 नवम्बर, 2004 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री जी. एस. मकवाना, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(235)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/96.—दि औरा सेडियन कन्स्ट्रेक्शन सहकारी संस्था, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./951, दिनांक 08 जुलाई, 2009 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दि औरा सेडियन कन्स्ट्रेक्शन सहकारी संस्था, भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./951, दिनांक 08 जुलाई, 2009 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(236)

भोपाल, दिनांक 09 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/97.—नेशनल ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1323, दिनांक 31 जनवरी, 2017 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये नेशनल ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1323, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री कैलाश बगबैया, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(237)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/100.—चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./77, दिनांक 06 मई, 1978 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./77, दिनांक 06 मई, 1978 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति संगीता मीना, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(202)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/101.—कर्णधार श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./21, दिनांक 09 अप्रैल, 1968 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये कर्णधार श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./21, दिनांक 09 अप्रैल, 1968 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्रीमति लता गिल, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(214)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/102.—जनता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./301, दिनांक 06 अप्रैल, 1964 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जनता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक एस.एच.आर./301, दिनांक 06 अप्रैल, 1964 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. कातुलकर, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/103.—चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./66, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./66, दिनांक 26 सितम्बर, 1977 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री आर. के. शर्मा, स.नि. कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233)

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/104.—प्राथमिक इंडो. फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./101, दिनांक 11 दिसम्बर, 1979 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2017/1576, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 की तिथि नियत की गई थी.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अत: यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना-पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अत: मैं, आर. आर. सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-8, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये प्राथमिक इंडो. फर्नीचर सहकारी संस्था मर्या., भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./101, दिनांक 11 दिसम्बर, 1979 का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-18(क)(2) के अन्तर्गत श्री एस. के. सनमारे, उप अंकेक्षक कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं. जिला भोपाल को शासकीय समुनदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समुनदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. आर. सिंह,
संयुक्त रजिस्ट्रार.

(238)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी, 2018-माघ 13, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 अगस्त, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्राय: आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील अम्बाह (मुरैना), श्योपुर, कराहल (श्योपुर), भिण्ड, गोहद, लहार (भिण्ड), डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेंवढ़ा, दतिया, भाण्डेर (दतिया), मुँगावली (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बम्होरी, चांचोड़ा, कुम्भराज (गुना), वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बण्डा, सागर, देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), पथरिया, जबेरा (दमोह), रघुराजनगर, नागौद, अमरपाटन, रामनगर (सतना), सिरमौर, गुढ़ (रीवा), सोहागपुर, जयसिंहनगर, गोहपारु (शहडोल), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुभासरा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मन्दसौर, धुंधड़का (मन्दसौर), जावद, मनासा (नीमच), उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर, कालापीपल (शाजापुर), टोंकखुर्द, देवास, खातेगांव (देवास), अलीराजपुर, सौंडवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), खरगौन, बड़वाह, सेगांव, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), बड़वानी, ठीकरी, राजकोट, सेंधवा, पाटी, बरला (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, ब्यावरा, सारंगपुर, पचोर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, कुरबाई, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बैरसिया, बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, जावर, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), हरदा, खिरकिया, टिमरनी (हरदा), जबलपुर, कुण्डम, सीहोरा (जबलपुर), निवास, नारायणगंज (मण्डला), नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, गाडरवारा (नरसिंहपुर), साहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, बिछुआ, अमरवाड़ा, उमरैंठ, मोहखेड (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, केवलारी, छपारा, धनोरा, घंसौर (सिवनी), किरनापुर, लालबर्रा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील पोरसा, कैलारस (मुरैना), मेहगांव, रौन, मिहौना (भिण्ड), घाटीगाँव (ग्वालियर), खुरई (सागर), बुडार, जैतपुर (शहडोल), गोपदबनास (सीधी), नीमच (नीमच), जोबट, चं. शे. आजादनगर (अलीराजपुर), कसरावद (खरगौन), पानसेमल, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर, नैपानगर (बुरहानपुर), रेहटी, सीहोर, गोहरगंज (रायसेन), नैनपुर (मण्डला), बालाघाट, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील मुरैना (मुरैना), अटेर (भिण्ड), अनूपपुर (अनूपपुर), कटटीबाड़ा (अलीराजपुर), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), बारासिवनी, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), हनुमना (रीवा), कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), विछिया (मण्डला), बजाग (डिण्डोरी), कुरई (सिवनी), बैहर, परसवाड़ा, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधा, रायसेन, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, मण्डला में कहीं-कहीं पर जुताई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है तथा जिला ग्वालियर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, सीधी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में कहीं-कहीं पर धान रोपाई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.- जिला मण्डला में धान, उड़द, रामतिल, कुटकी व ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, सीधी, रायसेन, बड़वानी, सिवनी, नरसिंहपुर में कहीं-कहीं पर खरीफ फसलों की बोनी चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति- जिला हरदा में अल्प वर्षा से खरीफ फसलों में आंशिक प्रभाव व छिन्दवाड़ा में वर्षा की कमी से फसलों में पीलापन आना प्रतिवेदित किया गया है. शेष जिलों में फसलों की स्थिति सन्तोष जनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई.- . .

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर, हरदा, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 अगस्त, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	6.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	27.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	42.0				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	21.0				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	4.0		4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	16.0		मक्का, सोयाबीन, तिल, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		उड़द, मूँग समान.		
4. वीरपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	49.1		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	2.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	4.0				
4. मेहगांव	22.4				
5. लहार	10.2				
6. रौन/मिहोना	23.5				
7. गौरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	63.4	चालू, धान रोपाई चालू.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	9.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	0.5				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	34.0				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	15.0		4. (1) गन्ना अधिक. मूँफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	3.0		तिल, मूँग, उड़द कम. धान	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .		समान.		
4. बढौनी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. भाण्डेर	4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	2.0		4. (1) उड़द, मक्का गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		सोयाबीन, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	7.0		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	4.0		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	0.0				
5. चाचौड़ा	3.0				
6. मकसूदनगढ़	0.0				
7. कुम्भराज	9.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, उड़द, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		ज्वार, मूँग, मूँगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		सोयाबीन, अरहर कम.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	2.0				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	9.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	5.6				
4. छतरपुर	3.0				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	1.2				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	11.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	5.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	5.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	1.0				
4. पवई	0.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	0.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	29.4		उड़द, मूँग, अरहर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	4.0		मूँगफली, सोयाबीन समान.		
4. सागर	4.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	2.0				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	2.0				
9. केसली	3.0				
10. मालथोन	5.0				
11. शाहगढ़	10.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		तिल, मूँगफली सुधरी हुई.		
4. पथरिया	4.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
5. जवेरा	9.0				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	1.9		4. (1) तुअर, तिल, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		कोंदो-कुटकी, धान, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		मक्का, बाजरा, मूँगफली		
4. नागौद	5.2		समान, सोयाबीन, रामतिल		
5. उचेहरा	. .		कम.		
6. अमरपाटन	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
7. रामनगर	2.0				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य कहीं-कहीं	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	व रोपाई का कार्य चालू	4. (1) उड़द, मूँग, तुअर, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	2.4	है.	कोंदो अधिक. धान, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		कम.		
4. हनुमना	64.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	6.0				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, बोनी कार्य चालू है, रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	13.0		4. (1) धान, मक्का, अरहर,उड़द, तिल अधिक. कोदों सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	0.0				
3. जैसिंहनगर	5.0				
4. बुढ़ार	28.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोहपारू	17.0				
6. जैतपुर	27.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	144.3		4. (1) मक्का अधिक, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, समान. समान. धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	42.2				
3. कोतमा	53.4				
4. पुष्पराजगढ़	64.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, बोनी कार्य चालू है, रोपाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	7.2		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	10.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है, धान, रोपाई कार्य चालू है, बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	20.2		4. (1) तुअर अधिक. धान, तिल कम. उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	6.4				
3. मझौली	8.0				
4. कुसमी	16.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. चुरहट	4.0				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	5.7				
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	6.2		4.(1) सोयाबीन, उड़द, मूँग कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	6.6		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	10.0				
4. गरोठ	15.0				
5. मंदसौर	4.0				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	3.0				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	12.4		4.(1) मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	22.0		सोयाबीन, अरहर, मूँग, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	. .		ज्वार कम. उड़द समान.		
4. जीरन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	2.0				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. ताल	. .				
6. रावटी	. .				
7. पिपलोदा	. .				
8. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	10.0				
6. बड़नगर	4.0				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	. .		4.(1) मक्का, ज्वार, लालतुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		उड़द अधिक, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	1.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	. .				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	6.0				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. हाटपिपल्या	. .				
7. सतवास	. .				
8. उदयनगर	. .				
9. खातेगांव	4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	27.4		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	16.6		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	45.0				
4. सोंडवा	5.0				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	16.4				
6. उदयगढ़	27.9				
7. भामरा	. .				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बदनावर	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	10.0		4. (1) मक्का, तुअर अधिक, ज्वार धान, बाजरा, कपास, मूंगफली, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	7.0				
4. खरगौन	1.3				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	20.0				
7. भगवानपुरा	11.3				
8. भीकनगांव	1.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	7.0				
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	6.8		4. (1) मक्का, गन्ना, अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	9.0		(2) गन्ना, मक्का, ज्वार, अधिक. कपास कम.		
3. राजकोट (राजपुर)	11.0				
4. सेंधवा	2.0				
5. पानसेमल	24.0				
6. पाटी	2.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	4.3				
9. निवाली	20.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	18.2		4. (1) कपास, मूँगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	1.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	31.0				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	1.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	7.9		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	6.0				
4. ब्यावरा	2.2				
5. सारंगपुर	3.0				
6. पचोर	4.0				
7. नरसिंहगढ़	3.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	12.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	0.6				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	1.0				
6. विदिशा	2.0				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	3.5				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	1.6		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द,ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मक्का, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	11.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	2.0		में कीट प्रकोप. पीला मैजिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		रोग एवं बाझपन कहीं-कहीं पर	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	12.0		4. (1) . .		
4. नसरूल्लागंज	1.0		(2) . .		
5. रेहटी	18.0				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	0.3				
8. बुधनी	5.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	1.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	5.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	1.0				
4. गोहरगंज	25.0				
5. बरेली	16.4				
6. सिलवानी	5.4				
7. बाड़ी	11.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	8.0				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. *जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	32.9		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिवनी मालवा	21.0		(2) . .		
3. बावई	24.0				
4. इटारसी	13.4				
5. सोहागपुर	38.0				
6. पिपरिया	81.8				
7. बनखेड़ी	20.4				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	72.6				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	1.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	7.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	5.0				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	3.2		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	9.0		सोयाबीन, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	10.0		(2) धान, मक्का समान तुअर,		
4. पाटन	. .		उड़द, सोयाबीन, मूँग कम.		
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)					
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू, बोनी चालू. धान रोपाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	4.0				
4. गाडरवारा	12.0				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	42.0		4. (1) मक्का, उड़द, तुअर, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	32.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बिछिया	55.9				
4. निवास	10.2				
5. नारायणगंज	9.8				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू, धान, उड़द, रामतिल, कुटकी की बोनी का कार्य चालू. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	42.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	17.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	90.2				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान, एवं मूंगफली आदि. खरीफ फसलों पर वर्षा की कमी के कारण पीला पन आ रहा है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	3.2		4. (1) मक्का अधिक. धान, मूंगफली समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	5.0		(2) मक्का, धान, समान, सोयाबीन, मूंगफली बिगड़ी हुई.		
3. परासिया	. .				
4. जुन्नारदेव	. .				
5. सौंसर	. .				
6. बिछुआ	8.2				
7. अमरवाड़ा	3.2				
8. चौरई	. .				
9. उमरेठ	0.9				
10. मोहखेड़	6.4				
11. हर्रई	. .				
12. चांद	. .				
13. पांढुर्णा	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	3.60		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	11.30		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	160.0				
4. केवलारी	15.20				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	5.10				
7. घनोरा	6.30				
8. घंसोर	4.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	32.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	11.0				
4. बैहर	55.0				
5. वारासिवनी	39.5				
6. कटंगी	31.5				
7. लालबर्रा	10.0				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	77.3				
10. बिरसा	109.0				
11. खैरलांजी	46.3				

टीप :- *जिला भिण्ड, रतलाम, आगर, बैतूल से प्रतिवेदन अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(239)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.